बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्रांकः–3/ कृ० बजट विविध –02/2018 3317 कृ0 पटना दिनांकः– 07-09- 2018

प्रेषक,

प्रभु राम,
निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान/भूमि संरक्षण/बामेति/सभी योजनाओं के नोडल पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम/अवर सचिव, राज्य किसान आयोग/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी।

विषय– **वित्तीय वर्ष 2017–18 तक लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः **विभागीय पत्रांकः–2316 दिनांक–04.06.2018/ मंत्री, कृषि विभाग कोषांग का गै०स०प्रे०सं०–1329 दिनांक–13.08.2018।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का स्मरण किया जाय। विभागीय स्वीकृत्यादेशों द्वारा सहायक अनुदान मद में स्वीकृत एवं आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय के पश्चात् राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने का दायित्व आपका है। इस संबंध में पूर्व में कई बार विभागीय पत्रों के माध्यम से निदेश दिये जा चुके हैं। इसके बावजूद भी आपके कार्यालय स्तर पर उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है। कई क्षेत्रीय कार्यालयों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना अतिआवश्यक है।

1. उपयोगिता प्रमाण पत्र सहायक अनुदान मद में आवंटित राशि का विहित प्रपत्र BTC Form-42A में तैयार किया जाना है।
2. एक उपयोगिता प्रमाण पत्र में एक स्वीकृत्यादेश एवं एक विपत्रकोड अंतर्गत आवंटित राशि से संबंधित सूचनाओं का अंकन होना चाहिए।
3. उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संबंधित स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न होना चाहिए।
4. उपयोगिता प्रमाण पत्र में अंकित राशि से संबंधित CTMIS की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न होनी चाहिए ताकि Bill No/ TV No की जाँच की जा सके।
5. विहित प्रपत्र में चेक स्लिप तीन प्रति में भरा होना चाहिए तथा निर्धारित स्थान पर डी०डी०ओ० का हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित होना चाहिए।
6. अंकेक्षण प्रतिवेदन की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न होना चाहिए। जहाँ अंकेक्षण का मामला लंबित है, उनका तत्काल अंकेक्षण करा लिया जाय।
7. प्रत्यर्पित राशि की स्थिति में अभिप्रमाणित प्रत्यर्पण पत्र संलग्न होना चाहिए। चालान के मामले में या तो चालान की मूल प्रति संलग्न हो या चालान की छायाप्रति पर डी०डी०ओ० एवं कोषागार पदाधिकारी से अभिप्रमाणित होना चाहिए।

बिहार कोषागार संहिता के नियम–271 (ड़) के अनुसार "सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है"। इस अवधि के बाद तबतक कोषागार से राशि की निकासी नहीं की जा सकेगी जबतक कि लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना से नहीं करा लिया जाता है।

अतः अनुरोध है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC Form-42A में तैयार कर सभी अनुलग्नकों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करते हुए विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय ताकि समायोजन हेतु अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके। यदि आपके स्तर से अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया तो उस परिस्थिति में आपके विरूद्ध विभागीय कार्य की उपेक्षा करने के आरोप में यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त

विश्वासभाजन,

(प्रभु राम)

निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 3317 /कृ०, पटना, दिनांक 07–09 – 2018

प्रतिलिपि :– कृषि निदेशक/निदेशक उद्यान/निदेशक भूमि संरक्षण/सभी योजनाओं के नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अपने स्तर से भारत सरकार को भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्र के संबंध में कार्रवाई हेतु निदेश देना चाहेंगे।

2. सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन अविलम्ब कराया जाय।

निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 3317 /कृ०, पटना, दिनांक 07–09 – 2018

प्रतिलिपि :– आप्त सचिव, मंत्री, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल करने एवं विभागीय बेवसाईट पर डालने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

(17)

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्रांकः–3/ कृ० बजट विविध –02/2018 2316 कृ0 पटना दिनांकः– 04-06- 2018

प्रेषक,

प्रभु राम,
निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान/भूमि संरक्षण/बामेति/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम/अवर सचिव, राज्य किसान आयोग/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी।

विषय– **वित्तीय वर्ष 2004–05 से 2016–17 तक लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपरोक्त विषयक पत्र के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेशों द्वारा सहायक अनुदान मद में स्वीकृत एवं आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय के पश्चात् राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने का दायित्व आपका है। इसके बावजूद भी आपके कार्यालय स्तर पर उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है।

बिहार कोषागार संहिता के नियम–271 (ड़) के अनुसार "सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है"। इस अवधि के बाद तबतक कोषागार से राशि की निकासी नहीं की जा सकेगी जबतक कि लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना से नहीं करा लिया जाता है। ससमय उपयेागिता प्रमाण पत्र का समायोजन नहीं कराये जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2017–18 में NFSM एवं अन्य योजनाओं की कोषागार से राशि निकासी में कठिनाई उत्पन्न हुई।

अतः अनुरोध है कि उपयेागिता प्रमाण पत्र संलग्न BTC Form-42A में भरकर, अंकेक्षण प्रतिवेदन, स्वीकृत्यादेश, आवंटनादेश की अभिप्रमाणित प्रति एवं चेक स्लिप (3 प्रति) के साथ विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय ताकि समायोजन हेतु अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,

(प्रभु राम) 4/6/18
निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 2316 /कृ०, पटना, दिनांक 04-06- 2018

प्रतिलिपि :– उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव 4/6/18
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\year -2014\letter\letter 2017.docx

(18)

।। पीत–पत्र के बदले में ।।

मंत्री, कृषि कोषांग
गै० स० प्रे० संख्या 1329(कृ०)
दिनांक 13/08/18

प्रधान सचिव, कृषि कोषांग
13 AUG 2018
6215
बिहार, पटना

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

माननीय मंत्री महोदय द्वारा सचिव, कृषि एवं किसान मंत्रालय, भारत सरकार से दिनांक 11.08.2018 को कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं में राशि विमुक्ति के संदर्भ में वार्त्ता की गई। सचिव, कृषि एवं किसान मंत्रालय ने बताया कि कृषि विभाग, बिहार से ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण योजनाओं के विरुद्ध राशि विमुक्त हो पाना संभव नहीं हो रहा है। इस हेतु पूर्व में भी माननीय मंत्री महोदय ने कई बार संबंधित पदाधिकारियों को विभिन्न बैठकों में निदेशित करने के बावजूद स्थिति में सुधार परिलक्षित नहीं हो पा रहा है।

उक्त के आलोक में निदेशानुसार कहना है कि :–

1. कृषि विभाग के विभिन्न निदेशालयों से ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र किस परिस्थिति में अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।
2. उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण राज्य के नुकसान के साथ–साथ विकास कार्य भी बाधित हुये हैं, जो अत्यंत गंभीर मामला है।
3. संबंधित पदाधिकारियों को तत्काल निदेश दिया जाय कि लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र यथास्थान शीघ्र भेजें ताकि राज्य/केन्द्र से संबंधित योजनाओं की राशि शीघ्र विमुक्त हो सके।
4. उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय नहीं भेजने वाले पदाधिकारियों को चिह्नित कर कार्यवाही का प्रस्ताव दिया जाय।

13.08.18

(मृत्युंजय कुमार)
आप्त सचिव,
मंत्री, कृषि विभाग, बिहार, पटना।

14.8.18